

महेन्द्र कौर बनाम बलदेव कौर आदि (प्रकरण संख्या 529 सन् 2016)  
रणवीर सिंह बनाम बलविन्द्र सिंह आदि (प्रकरण संख्या 07 सन् 2019)  
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

तामिल  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

27.01.2025

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई, बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 4 यू की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 131/122 के मुरब्बा नम्बर 2 की कुल 5.186 हेक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 24 की 1.265 हेक्टेयर, कुल 6.451 हेक्टेयर भूमि में से करतार कौर पत्नी हरभजन सिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि व नरेन्द्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। लिहाजा वादगत भूमि में से उभयपक्ष कोई हक व हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति दोनों पक्षों के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश इस आशय का पारित किया जाता है कि उभयपक्ष चक 4 यू की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 131/122 के मुरब्बा नम्बर 2 की कुल 5.186 हेक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 24 की 1.265 हेक्टेयर, कुल 6.451 हेक्टेयर भूमि में से करतार कौर पत्नी हरभजन सिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि व नरेन्द्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि की की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

↓  
उपस्वण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

